न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 01/2019
दायर दिनांक :– 08/01/2019
निर्णय दिनांक :– 06/12/2019

अनवान

पीर बावजी हजरत सलीम बाबा मजार स्थान पाली रोड, कामलीघाट रेलवे क्रासिंग जरिये पुजारी श्री भवर लाल पिता नाथुराम सालवी, निवासी चेता, चरेडों का बाडिया तहसील भीम हाल निवासी कामलीघाट तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

———प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजुराम पिता जालु सालवी आयु 55 वर्ष निवासी चेता, चरेडों का बाडिया तहसील भीम हाल निवासी कामलीघाट तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्रीमती नाथी पुत्री जालु जाति सालवी आयु 42 वर्ष निवासी चेता, चरेडों का बाडिया तहसील भीम हाल निवासी कामलीघाट तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ

———अप्रार्थी

बाबत् आवंटन निरस्तीकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन

उपस्थित :–

1– श्री अजय चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री हरिशंकर सालवी, अधिवक्ता अप्रार्थी

–: निर्णय :–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । ग्राम कामली पटवार मण्डल कामली तहसील देवगढ जिला राजसमंद की बिलानाम आराजी नं 548 रकबा 04–05 में से 2–0 बीघा भूमि दिनांक 29.10.1977 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पिता जालु पिता रामा को आवंटन उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा आंवटित की गई। उक्त आंवटन के आधार पर जरिये नामान्तरण संख्या 199 दिनांक 29.10.1977 को भूमि आवंटी जालु पिता रामा के नाम गैर खातेदारी में खसरा संख्या 548/1 रकबा 02–00 बीघा दर्ज की गई जो आज दिनांक तक गैरखातेदारी में चल रही है। वर्तमान में इस भूमि में पीर बाबा की मजार बनी हुई है। रोड पर लोहे के गेट लगे होकर यह सारा परिसर 2–00 बीघा जमीन में स्थित होकर पीर बावजी की पूजा–अर्चना हेतू, जातरूओं के

बैठने–उठने में प्रयुक्त हो रहीं हैं। जिसमें टयूबवेल खुदा हुआ है तथा दो बडे पेड, व फूलदार पौधे लगे हुये है तथा यह परिसर 30 वर्ष से अधिक की अवधि से पीर बाबा की पूजा–अर्चना में प्रयुक्त होने से उक्त आवंटन जो खसरा संख्या 548/1 रकबा 2–00 बीघा में हुआ है । उससे व्यथीत होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम कामली पटवार मण्डल कामली तहसील देवगढ जिला राजसमंद की बिलानाम आराजी नं 548 रकबा 04–05 में से 2–0 बीघा भूमि दिनांक 29.10.1977 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पिता जालु पिता रामा को आवंटन उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा आंवटित की गई। उक्त आंवटन के आधार पर जरिये नामान्तरण संख्या 199 दिनांक 29.10.1977 को भूमि आवंटी जालु पिता रामा के गैर खातेदारी में खसरा संख्या 548/1 रकबा 02–00 बीघा दर्ज की गई जो आज दिनांक तक गैर खातेदारी में चल रही है। सन 1977 में भूमि आवंटन के बाद भूमि पर आज दिनांक तक भूमि पर आंवटी द्वारा कब्जा नहीं किया गया तथा न कभी हल चलाया गया न कभी चार दिवारी बनाई गई न कभी भूमि सुधार किया गया न कभी फसल बोई गई आवंटी ने आवंटन की शर्तो को कभी पूरा नहीं किया। आवंटन के बाद प्रथम कृषि वर्ष में 1/3 हिस्से में कास्त नहीं की उसके बाद नियमानुसार कास्त नहीं की, चार दीवारी बनाकर कब्जा नहीं किया, भूमि में हल नहीं चलाया। आवंटी जालु पिता रामा की सन् 199 में मृत्यु हो गई उसके बाद उसके वारिसान को इस भूमि बाबत् कोई जानकारी नहीं रही तथा नही वारिसान का कभी कब्जा रहा। सन 1991 में आराजी संख्या 548/1 रकबा 2–00 बीघा जो खाली पडी थी । उसमें अपीलान्ट ने पीर बाबा जी की मजार बना दी तथा अपीलान्ट पुजारी के रूप में सेवा अर्चना करता है। सन् 1991 में पुजारी अपीलान्ट ने यह भूमि जो रोड के किनारे खाली एवं विरान पडी थी, गाँव वालों के कहने पर और ग्राम वासियों की सलाह एवं सहयोग से पीर बाबा जी की मजार बना दी। वर्तमान में यह स्थान पाली रोड कामलीघाट रेल्वे क्रासिंग से आगे होकर उक्त खसरा संख्या 548/1 के 2–00 बीघा में 2 जगह मजार बनी हुई है। जिस पर स्टील व लोहे की जाली लगी हुई है व जातरूओं के बैठने के लिये टीनशेड बना रखा है पाली रोड के किनारे मजार हेतु बडी लोहे की फाटक लगी हो इसी जमीन पर पुजारी द्वारा पानी की ट्युबवेल खुदवाई है तथा पाली रोड के किनारे पानी की टंकी लगी है जिससे आने–जाने वाले जातरू पानी पीते है। यहॉ हर दिन मेला सा लगा रहता है दूर–दूर से यात्री, पीडित व्यक्ति पीर बावजी की मजार पर मन्नत मांगने आते है जिससे उनकी तकलीफ, दुख–दर्द दूर होते है यहॉ हर समय चहल–पहल रहती है 100 से अधिक व्यक्ति मौजुद रहते है पूजा–अर्चना होती है। यहॉ पुजारी अपीलान्ट का व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है पुजारी निस्वार्थ भावना से पूजा करता है। ग्रामवासी एवं जातरू हमेशा इस स्थान पर इकट्ठे होते रहे है यह स्थान 30 वर्ष की अवधि से पीर बाबा की सेवा अर्चना हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। इस स्थान पर रेस्पोडेन्ट व उसके पूर्वज जालु ने आवंटन के बाद कभी कब्जा नहीं किया न कभी कास्त की आवंटन संवत् 2034 में होने के बाद 2042 में 8 वर्ष बाद एक फसल की कास्त दर्ज की गई है वह गलत है। यह जमीन पाली रोड के किनारे होकर आबादी के नजदीक होने से भूमाफियाओं की नजर में आ गई है जिससे अब भूमाफियाओं के सहयोग से 6 माह पूर्व भूमि का नामान्तरण मृतक के वारिसान के नाम कराया गया है मृतक जालु की मृत्यु सन् 1999 में हुई है तथा रेस्पोडेन्ट अब भूमाफियाओं के सहयोग से इस भूमि पर कब्जा करने के हेतु प्रयासरत है । जबकि उन्होने आवंटन के बाद कभी भी भूमि पर कब्जा नहीं किया है। आवंटी को संवत् 2034 में 2–00 बीघा भूमि

आवंटन होने के बाद उसने आवंटन नियमों के अनुसार भूमि पर कब्जा नही किया व कास्त नहीं की तथा वर्तमान में भी उनका कोई कब्जा नहीं है, वर्तमान में इस भूमि में पीर बाबा की मजार बनी हुई है। रोड पर लोहे के गेट लगे होकर यह सारा परिसर 2–00 बीघा जमीन में स्थित होकर पीर बावजी की पूजा–अर्चना हेतू, जातरूओं के बैठने–उठने में प्रयुक्त हो रहीं हैं। जिसमें टयूबवेल खुदा हुआ है तथा दो बडे पेड, व फूलदार पौधे लगे हुये है तथा यह परिसर 30 वर्ष से अधिक की अवधि से पीर बाबा की पूजा–अर्चना में प्रयुक्त होने से उक्त आवंटन जो खसरा संख्या 548/1 रकबा 2–00 बीघा में हुआ है उस पर विधिवत कब्जा कास्त नहीं रखने से उसे निरस्त कराया जाकर वर्तमान में यह स्थान पीर बावजी की पूजा अर्चना में प्रयुक्त हो रहा है जहॉ इस गॉव के समस्त व्यक्ति पूजा–अर्चना एवं सिर नवाने एवं दुआ मांगने आते है। पीर बाबा से ग्रामवासियों एवं लोगों की भावना जुडी हुई होने से इस 2–00 बीघा भूमि को पीर बाबा के खाते दर्ज कराने हेतु आवंटित या रेगुलाईज कराई जाकर पीर बाबा के नाम दर्ज कराई जावें। उक्त आवंटन संवत् 2034 में सन 1977 में हुआ तथा सन्1999 में गैरखातेदार की मृत्यु होने के बाद मृतक के वारिसान को जानकारी होने पर दिनांक 28.05.2018 को उन्होनें विरासत का नामान्तरकरण खुलवाया एवं तब से उक्त भूमि पर कब्जा करने हेतु प्रयासरत है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि खसरा नं0 548/1 रकबा 2–00 बीघा ग्राम कामली में संवत् 2034 तथा सन् 1977 में रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के पिता जालु पिता रामा सालवी निवासी चेता आसन के नाम किये गये आवंटन को निरस्त कराया जाकर उक्त 2–00 बीघा भूमि जरिये पुजारी पीर बावजी के खाते दर्ज कराने की कार्यवाही फरमाई जावें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन गलत, मिथ्या, मनगढन्त, काल्पनिक एवं झूठे व निराधार होने से अस्वीकार हैं ,उपरोक्त प्रार्थना–पत्र में अपीलान्ट के द्वारा किये गये प्रत्येक तथ्य गलत एवं निराधार है तथा माने जाने योग्य नहीं हैं। अपीलान्ट के पास उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेज साक्ष्य मौजूद नही है। सम्पूर्ण तथ्य कापोल कल्पित है। वास्तविकता यह है कि ग्राम कामली पटवार मण्डल कामली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द की आराजी नम्बर 548 रकबा 04–05–00 में से 02–00–00 बीघा भूमि दिनांक 29.10.1977 को अप्रार्थीगण के पिता जालु पिता रामा को आंवटन अधिकारी उपखण्ड कार्यालय भीम जिला राजसमन्द द्वारा आवंटित की गई थी जिसके क्रम में नामान्तरण संख्या 199 दिनांक 29/10/1977 को भूमि अप्रार्थीगण के पिता के नाम से गैरखातेदारी में दर्ज की गई है जो कि आज दिवस तक अप्रार्थीगण के हक अधिकार एवं कब्जे में चली आ रही है तथा तब से लेकर आज दिवस तक अप्रार्थीगण खेतीबाडी करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण के पिता का नाम जमाबन्दी में जाजु पिता रामा बलाई दर्ज था। जबकि अप्रार्थी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जालु पिता रामा का पेश किया जो कि जमाबन्दी से मिलान नहीं हुआ अप्रार्थीगण के पिता का नाम का शुद्धीकरण करवाने की कार्यवाही की गई जिसमें विलम्ब हुआ उसके पश्चात् अप्रार्थीगण के पिता का नाम नियमानुसार जमाबन्दी में शुद्ध किया जाकर विरासत का नामान्तरण अप्रार्थीगण के नाम खोल दिया गया। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में अपीलान्ट के द्वारा स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त आराजी संख्या 548/1 रकबा 2 बीघा जो खाली पडी थी उसमें अपीलान्ट ने पीर बाबा जी की मजार बना दी तथा अपीलान्ट पुजारी के रूप में सेवा अर्चना करता हैं। अपीलान्ट के उपरोक्त कथन अपने आप में गैर कानूनी कृत्य एवं आपराधिक कृत्य किये जाने की स्वीकारोक्ति है जिसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं में गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है जिसके विरूद्ध ठोस कानूनी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अपीलान्ट के द्वारा अप्रार्थी की भूमि की आराजी भूमि में नाजायज तरीके से कब्जा कर उस जमीन पर मजार बना कर अतिक्रमण कर

कब्जा किया है जो कि अनाधिकृत एवं अवैध कब्जा है और यह स्वयं अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट आदतन अपराधी एवं शांति भंग करने एवं माहौल खराब करने तथा साम्प्रदायिक सदभाव खराब करने की अति विशिष्ठ गम्भीर एवं संवेदनशील गतिविधियों में लिप्त है तथा खुलेआम इस प्रकार से निजी खातेदारी की भूमियों पर बिना किसी की अनुमति व बिना सहमति के जबरन कब्जा कर मजार बना कर अवैध रूप से कब्जा करने की नियत रखते हुए धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए तत्पर है और वह स्वयं स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ है जो कि कतई माने जाने योग्य नहीं हैं, तथा प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें। अप्रार्थीगण गरीब मजदूर किसान परिवार के सदस्य है तथा उपरोक्त अपीलान्ट जो कि आपराधिक प्रवृति का तथा भू–माफिया का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायिक कार्यवाही से ही न्याय प्राप्त कर सकता है। पटवारी हल्का कामली तहसील देवगढ के द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें भी अप्रार्थीगण का कब्जा होना बताया है तथा उक्त आराजीयात में से देवगढ से पाली जाने वाला स्टेट हाईवे गुजरता है जिस पर नक्शा भी बनाया गया है जो कि दिनांक 11.06.2018 को बनायी गई है जिसमें भी उक्त पीर बाबाजी का स्थान अवैध बताया गया है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट का उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध विधिक कार्यवही अनुसार मुकदमा दर्ज किया जाकर कानूनी कार्यवाही करवाने तथा उपरोक्त प्रार्थीगण की भूमि पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वालों की बेदखली के आदेश जारी कर किये गये अतिक्रमण को ध्वस्त कराये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि राजस्व ग्राम कामली तहसील देवगढ के आराजी नम्बर 548 रकबा 05.05 बीघा भूमि में से 02.00 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के पिता श्री जालु पिता रामा को आवंटन कमेटी द्वारा अवंटित की गई थी। श्री जालु की मृत्यु के पश्चात विरासत से उक्त आराजी अप्रार्थीगण के खाते गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा नाजायज तरीके से कब्जा कर उक्त आराजीयात में पीरबावजी की मजार स्थापित कर दी गई है जो विधि विरूद्व है। प्रार्थी के अधिवक्ता यह साबित नहीं कर पाये कि पीरबावजी का स्थान उक्त आराजी में किस स्थान पर है। क्योकि उक्त आराजी 05.05 बीघा होकर सभी भूमि खाली पडी हुई है। अप्रार्थीगण के पिता को उक्त आराजीयात उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन कमेटी की सिफारिश पर दिनांक 29.10.1977 को आंवटित होकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 199 दिनांक 29.10.1977 से गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। जिसके सम्बन्ध में गैर खातेदार द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु तहसील कार्यालय में कार्यवाही की जा रही है। अतः इस प्रकरण में प्रार्थी जो एक अतिक्रमी है के आवेदन पर गैरखातेदार के अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते है।

अतः प्रार्थी का आवेदन आधारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा गैरखातेदार को निर्देशित किया जाता है कि अपने खातेदारी अधिकारों के लिए विधि सम्मत प्रकिया के तहत कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द